

श्री प्रणब मुखर्जी को संसद सदस्यों द्वारा विदाई

नई दिल्ली 23 जुलाई 2017 : आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को लोक सभा और राज्य सभा के संसद सदस्यों द्वारा विदाई दी गई। इस समारोह में, भारत के माननीय उपाध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति, श्री एम. हमिद अंसारी; माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी; संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य उपस्थित थे।

इस अवसर पर अने विचार व्यक्त करते हुए, राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उनके व्यक्तित्व का विकास संसद में ही हुआ - एक ऐसा व्यक्ति, जिसके राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को इस लोकतन्त्र के मंदिर ने एक नया रूप दिया। उन्होंने इस बात का स्मरण किया कि उन्होंने 48 वर्ष पूर्व 34 वर्ष की आयु में इस विभ्र संस्था के प्रांगण में पहली बार प्रवेश किया तथा लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य के रूप में 37 वर्षों तक कार्य किया और उनका संसदीय कार्यकाल ज्ञानगर्भित और शिक्षाप्रद रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन दिनों संसद के दोनों सदनों में सामाजिक और वित्तीय विधानों पर जीवंत चर्चाएं और विद्वत्पूर्ण एवं विस्तृत वाद - विवाद होते थे। इस बात को रेखांकित करते हुए कि अने संसदीय कार्यकाल के आरंभिक दिनों में ही गरीब - हितैषी और किसान - हितैषी विधानों को अधिनियमित होते हुए देखना उनके लिए प्रसन्नता का विषय था, श्री मुखर्जी ने इस बात का उल्लेख किया कि हाल ही में वस्तु और सेवा कर विधान को पारित किया जाना और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया जाना सहकारी संघवाद का जीवंत उदाहरण है और यह बात भारतीय संसद की परिष्कृतता का श्रेष्ठ प्रमाण है।

श्री मुखर्जी ने कहा कि एक महान भारत के उद्भव के क्रमिक रूप से बदलते परिदृश्य को देखने और इसमें भाग लेने का उन्हें विशेष अवसर मिला है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि मुख्य भूमि और द्वीपों के 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैले इस विशाल भूभाग के प्रत्येक हिस्से को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक सदस्य के विचार महत्वपूर्ण होते हैं, उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि विधान निर्माण हेतु समर्पित संसद का समय में कम होता जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन की लगातार बढ़ती जटिलता को देखते हुए विधानों को संसद में रखे जाने से पूर्व ही इनकी संवीक्षा की जानी चाहिए और उन पर पर्याप्त चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब संसद कानून बनाने की अपनी भूमिका में असफल रहती है या चर्चा किये बिना कानून बनाती है, तो यह संसद में लोगों के विश्वास को खंडित करती है।

श्री मुखर्जी ने कहा कि वे हर कदम पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के परामर्श और सहयोग से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्री मोदी पूरे उत्साह और कर्मठता से देश

में परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं और वे श्री मोदी के स्नेहपूर्ण और शालीन व्यवहार और सहचर्य की मधुर यादें अने साथ लेकर जायेंगे।

भारत के राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति, श्री एम. हमिद अंसारी ने अने सम्बोधन में कहा कि श्री मुखर्जी ने भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर इसे और अधिक गरिमा और विशिष्टता प्रदान की है। श्री अंसारी ने कहा कि भारत के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ - साथ हमारे राष्ट्रीय जीवन, संसदीय संस्थानों तथा राजनैतिक संवाद को समृद्ध बनाने में श्री मुखर्जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सांसद के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी के योगदान की प्रशंसा करते हुए श्री अंसारी ने कहा कि उन्होंने संसद में लोक महत्व के मामलों पर विद्वतापूर्ण ङंग से वाद विवाद और चर्चा के स्तर को ऊपर उठाने के कड़े प्रयास किए।

इस अवसर पर, लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने संसद और इसकी परम्पराओं का सदैव सम्मान किया तथा दोनों सदनों की गरिमा और शालीनता को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि उनके शांत और प्रेरक व्यवहार कौशल, बौद्धिक दूरदर्शिता और संसदीय लोकतन्त्र और राजनैतिक बहुलवाद के आधारभूत सिद्धांतों में उनकी प्रतिबद्धता के लिए सभी उनका सम्मान करते थे। इस बात पर जोर देते हुए कि श्री मुखर्जी को संवैधानिक और संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का अथाह ज्ञान था तथा घटनाओं और पूर्व उदाहरणों को याद रखने की अद्भुत क्षमता है, उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे गुरु रहे हैं जिनसे सांसदों की कई पीढ़ियों ने संसदीय शासन व्यवस्था के सुचारु कार्यकरण के संबंध में जानकारी ली है। अने विचारशीलता और बुद्धिमता से उन्होंने राष्ट्रपति के इस महान पद को गौरव और सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति श्री एम. हमिद अंसारी और लोक सभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने श्री मुखर्जी को स्मृति-चिन्ह भेंट किए।